न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र खजूरी बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 51/15/ दावा/बउनवान/रविन्द्रकुमार/लक्ष्मीचंद   निर्णय दिंनाक 27.06.2017

बउनवान

1. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल नागर।
2. श्रीमति कजोडीबाई पत्नी रविन्द्र कुमार।
3. सत्यनाराण पुत्र हीरालाल नागर।
4. श्रीमति सोनाबाई पत्नी सत्यनारायण नागर जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
2. लुकमचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी सब्जीमण्डी के पास अन्ता जिला बांरा।
3. रूपचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
4. श्रीमति कोशलयाबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राह गेहूंखेडी तहसील कनवास।
5. श्रीमति रामजानकीबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा।
6. विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड निवासी ढोटी।
7. बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :–

वादीगण स्वंय

प्रतिवादी गण 01 लगायत 07 स्वंय।

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रैस धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढोटी तहसील कनवास में वादीगणं नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की खसरा नंबर 1146/1604 की 0.69

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

है0, खसरा नंबर 1146/1595 की 0.32 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.01 है0,आराजियात स्थित है, इसी प्रकार वादी नंबर 03 व 04 के खाते एवं कब्जे में 1140 की 0.50 है0, खसरा नंबर 1146 की 0.15 है0, खसरा नंबर 1146/1600 की 0.65 है0, तथा खसरा नंबर 1146/1605 की 0.69 है कुल खसरा किता 04 की रकबा 1.99 है0, आराजी स्थित है, जो वादीगण 01 व 03 के पिता हीरालाल वल्द धन्ना जी के खाते की रही है, जो उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व उनके अन्य वारिसों के मध्य विभाजन में विरासतन वादीगण को प्रापत हुई है, उक्त आराजियात का हाल सेटलमेंट से पूर्व का खसरा नंबर 748 का 18 बीघा 10 बिस्वा रबा था। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में खसरा नंबर 1144 की 0.01 है0, तथा खसरा नंबर 1145 की 2.69 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.70 है0, आराजियात स्थित है, जो उनको उनके पिता गोपाल पुत्र धन्ना की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई है, जिसका हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 748 का 16 बीघा 14 बिस्वा रकबा था। इस प्रकार उक्त आराजियात का हाल सेटलमेंट से पूर्व का खसरा नंबर 748 का कुल रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा था।

यह कि हाल सेटलमेंट वालों को साबिक खसरा नंबर 748 की 35 बीघा 04 बिस्वा आराजियात के नये खसरा नंबर वादीगण के एवं प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रकबे को कब्जे के आधार पर नक्शा ट्रैस में अंकन करना था। सैटलमेंट कर्मचारियों ने सैटलमेन्ट के बाद वादी नंबर 01 व 02 के खाते में दर्ज खसरा नंबर 1146/1604 के 0.69 है0, व खसरा नंबर 1146/1595 के 0.32 है0, कुल किता 02 के 1.01 है0, काबिज रकबे को जो मध्य का था, जिसको नजरी मे लाल रंग से इंगित किया है। को प्रतिवादीगण के काबिज रकबे पर दक्षिण पश्चिमी तरफ नक्शा ट्रैस में अंकित कर दिया, इसी प्रकार वादी नंबर 03 व 04 के खसरा नंबर 1140 के 0.50 है0, खसरा नंबर 1146 के 0.15 है0, खसरा नंबर 1446/1600 के 0.65 है0, खसरा नंबर 1146/1605 के 0.69 है0, काबिज रकबे को जो उत्तर दिशा का था, जिसको नजरी नक्शे में कालेरंग से इगित किया है, में से खसरा नंबर 1146/1605 के 0.69, रकबे को मध्य में वादी नंबर 01 व 02 के काबिज रकबे पर नक्शा ट्रैस में अंकित का दिया एवं इसी प्रकार प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे के रकबे 1145 का 2.69 है0, रकबा जो दक्षिणी तरफ का था, जिसको नजरी नक्शे में नीली स्याही से दिखाया गया है, में से 0.50 है0, रकबो को मध्य में वादी नंबर 01 व 02 के काबिज रकबे पर तथा 0.66 है0, रकबे को वादी नंबर 03 व 04 के उत्तर पूर्वी तरफ के काबिज रकबे पर नक्शा ट्रैस में अंकित कर दिया एवं वादी नंबर 01 व 02 के गै0मु0 बोरिंग के नये खसरा नंबर 1144 की 0.01 है0, कायम कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया व प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज रकबा साबिक नंबर 748 के 16 बीघा 14 बिस्वा के आधार पर नया रकबा 2.70 है0, होना था। उसमें 0.01 है0, कम कर दिया जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज आराजियात का नक्शा ट्रैस में काबिज रकबे के अनुसार अंकन न होने भविष्य में जटिलता बडने का अन्देशा उत्पन्न हो गया है। प्रतिवादीगण से नक्शा ट्रैश में दुरूस्ती कराने के लिये 15 दिन पूर्व कहने पर उन्होनें कोई ध्यान नंही दिया।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ढोटी तहसील कनवास की वादी नंबर 03 व 04 के खाते में दर्ज खसरा नंबर 1140 की 0.50 है0,खसरा नंबर 1146 की 0.15 है0, खसरा नंबर 1146/1600 की 0.65 है0, तथा खसरा नंबर 1146/1605 की 0.69 है0, आराजियात को नक्शा ट्रैस में दुरूस्त कर संलग्न नजरी नक्शे में काले रंग से इगिंत अनुसार उत्तर दिशा में अंकन करने वादीगण नंबर 01 व 02 के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1146/1604 का 0.69 है0, तथा खसरा नंबर 1146/1595 के 0.32 है0, आराजियात को नक्शा ट्रैस में दुरूस्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कर सलंग्न नजरी नक्शे में लाल रंग को प्रतिवादीगण के खाते से निरस्त कर वादी नंबर 01 व 02 के खाते दर्ज करने व वादी नंबर 01 व 02 के खाते में दर्ज खसरा नंबर 1146/1604 के 0.69 है0, दुरूस्त कर 0.68 है0, दुं करने तथा प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज खसरा नंबर 1145 के रकबा 2.69 है0, आराजी का रकबा दुरूस्त कर 2.70 है0, दर्ज करने व उक्त आराजियात को नक्शा ट्रैस में पूर्व दिशा के बजाय संलग्न नजरी नक्शे में नीली स्याही से इंगित अनुसार दक्षिण दिशा में अंकन करने की घोषणा की डिक्री पारित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गइ।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई जवाब सरकार अप्राप्त, प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 उपस्थित हुये, उपस्थित होकर माल ग्राम ढोटी में दर्ज राजस्व भूमि का राजीनामा पेश किया जो निम्न प्रकार हैः–

सत्यनारायण पुत्र हीरालाल, सोहनबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1140	0.50	उत्तर
1146	0.15	उत्तर
1146/1600	0.65	उत्तर
1145	0.70	उत्तर

कुल खसरा किता 04 की रकबा 2.0 है0, उत्तर तरफ

रवीन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल, कजौडी पत्नी रवीन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1605	0.49	मध्य, उत्तर
1144	0.01	मध्य, उत्तर
1145	0.55	मध्य, उत्तर

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.05 है0, मध्य उत्तर तरफ

विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचंद,बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी बाई पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1604	0.40	उत्तर
1146/1605	0.20	दक्षिण
1145	0.72	मध्य

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.32 है0,

हुकमचंद पुत्र रामगोपाल, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी के हिस्से में:–

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1595	0.32	दक्षिण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1146/1604	0.29	दक्षिण
1145	0.72	दक्षिण

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.33 है0,

वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजीनामा पढकर सुनाया गया, राजीनामा स्वीकार किया। हमारे द्वारा वाद पत्र में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेंजों व राजीनामे का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कार्श पर पहुंचते हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 07 द्वारा पेश किये राजीनामा अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 को निम्न प्रकार से खाते का विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 को ग्राम ढोटी में स्थित आराजी का निम्न प्रकार से खाते का हिस्सा विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है।

सत्यनारायण पुत्र हीरालाल, सोहनबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1140	0.50	उत्तर
1146	0.15	उत्तर
1146/1600	0.65	उत्तर
1145	0.70	उत्तर

कुल खसरा किता 04 की रकबा 2.0 है0, उत्तर तरफ

रवीन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल, कजौडी पत्नी रवीन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1605	0.49	मध्य, उत्तर
1144	0.01	मध्य, उत्तर
1145	0.55	मध्य, उत्तर

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.05 है0, मध्य उत्तर तरफ

विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचंद,बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी बाई पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1604	0.40	उत्तर
1146/1605	0.20	दक्षिण
1145	0.72	मध्य

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.32 है0,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

हुकमचंद पुत्र रामगोपाल, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी के हिस्से में:–

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1595	0.32	दक्षिण
1146/1604	0.29	दक्षिण
1145	0.72	दक्षिण

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.33 है0,

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 का खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता विभाजन किया जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावे। निर्णयानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 22.06.2017 को मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र खजूरी बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 51/15/ दावा/बउनवान/रविन्द्रकुमार/लक्ष्मीचंद निर्णय दिंनाक 27.06.2017

बउनवान

1. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल नागर।
2. श्रीमति कजोडीबाई पत्नी रविन्द्र कुमार।
3. सत्यनाराण पुत्र हीरालाल नागर।
4. श्रीमति सोनाबाई पत्नी सत्यनारायण नागर जाति धाकड निवासी ढ ोटी तहसील कनवास।

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
2. हुकमचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी सब्जीमण्डी के पास अन्ता जिला बांरा।
3. रूपचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
4. श्रीमति कोशलयाबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राह गेहूंखेडी तहसील कनवास।
5. श्रीमति रामजानकीबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा।
6. विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड निवासी ढोटी।
7. बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद जाति धाकड निवासी ढोटी तहसील कनवास।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रैस

मुकदमा नं 51/15 सन 20145 निर्णय दिंनाक 22.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास न्यायालय बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी गण स्वंय एवं प्रतिवादी गण 01 लगायत 07 स्वंय तथा राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 07

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

को ग्राम ढोटी में स्थित आराजी का निम्न प्रकार से खाते का हिस्सा विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है।

सत्यनारायण पुत्र हीरालाल, सोहनबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1140	0.50	उत्तर
1146	0.15	उत्तर
1146/1600	0.65	उत्तर
1145	0.70	उत्तर

कुल खसरा किता 04 की रकबा 2.0 है0, उत्तर तरफ

रवीन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल, कजौडी पत्नी रवीन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम ढोटी के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1605	0.49	मध्य, उत्तर
1144	0.01	मध्य, उत्तर
1145	0.55	मध्य, उत्तर

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.05 है0, मध्य उत्तर तरफ

विरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचंद,बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी बाई पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल के हिस्से में

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1604	0.40	उत्तर
1146/1605	0.20	दक्षिण
1145	0.72	मध्य

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.32 है0,

हुकमचंद पुत्र रामगोपाल, कौशल्याबाई पुत्री रामगोपाल, रामजानकी पुत्री रामगोपाल, लक्ष्मीचंद पुत्र रामगोपाल, रूपचंद पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ढोटी के हिस्से में:-

खसरा नंबर	रकबा	दिशा
1146/1595	0.32	दक्षिण
1146/1604	0.29	दक्षिण
1145	0.72	दक्षिण

कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.33 है0,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 का खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में खाता विभाजन किया जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावे। **उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।**

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/06/2017 को जारी की गई।

मोहर ....

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास